[लोक सभा द्‌वारा 3 अगस्त, 2017 को पारित रूप में]

2017 का विधेयक संख्यांक 159-सी

[दि पंजाब म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ला (एक्सटेंशन टु चंडीगढ़) एमेंडमेंट बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन विधेयक, 2017

पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद द्‌वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और गैर प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

1994 के अधिनियम सं0 45 का संशोधन ।

2. पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची के भाग-2 की धारा 90 में,--

(अ) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

'(क) उपधारा (1) में,--

(i) खंड (ख) और खंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ङ) के अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(छ) मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर कर ।" ';

(आ) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

'(ख) उपधारा (6) में,--

(i) "पंजाब मोटर व्हीकल्स टैक्सैशन ऐक्ट, 1924" शब्दों के पूर्व "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को यथा लागू" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (घ) और खंड (ङ) का लोप किया जाएगा ।'

निरसन और व्यावृत्ति ।

3. (1) पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन अध्यादेश, 2017 को निरसित किया जाता है । 2017 का अध्यादेश सं0 2

(2) इस निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994 के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्रवाई को, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया समझा जाएगा । 1994 का 45

GMGIPMRND—1724LS(CRC)—03-08-2017.